

एनएचएसआरसीएल

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 (1) (सी) का विवरण

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (सी) --

महत्त्वपूर्ण नीतियाँ बनाते समय अथवा जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय समस्त प्रासंगिक तथ्य:

कंपनी ने संरेखित प्रभावित गांवों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के उद्देश्य से हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किया है। गहन परामर्श के उपरान्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) / पुनर्वासन कार्य योजना (आरएपी) प्रतिवेदन तथा स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) को अन्तिम स्वरूप देकर वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है।